कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

Phone No. 07723-222939, Email – dlsa.mahasamund1@gmail.com

// विज्ञापन //

क्रमांक–01/2025 **महासमुन्द, दिनांक 04/07/2025**

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि – 21.07.2025 संध्या 5.00 बजे तक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ0ग0) के अन्तर्गत पैरा लीगल वालंटियर का चयन किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. **पैरा लीगल वालंटियर की संख्या – 10**

2. **चयन की पात्रता :–**

 (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कम से कम 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
 (ii) कम्प्युटर, मोबाईल एवं इंटरनेट का पर्याप्त ज्ञान हो ।
 (iii) विधिक सेवा का कार्य करने का इच्छुक हो ।

पैरालीगल वालिंटियर के चयन संबंधी दिशा निर्देश के अनुसार पी.एल.व्ही का चयन निम्नानुसार समूह से किया जाना है :–

- शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित)
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक
- MSW छात्रों और शिक्षकों
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- चिकित्सक
- छात्र और कानून के छात्र (जब तक वे अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं कराते)

- गैर राजनीतिक, सेवा उन्मुख गैर सरकारी संगठनों और क्लबों के सदस्य
- महिला समूहों, मैत्री संघों एवं अन्य स्व सहायता समूहों के सदस्य
- अच्छे व्यवहार वाले शिक्षित कैदी, जो जेलों में लंबी अवधि की सजा काट रहे हैं।

3. पीएलवी का चयन एवं पैनलबद्ध करने की प्रकिया –

पीएलवी का चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा । समिति द्वारा अपने विवेक का उपयोग करते हुए पीएलवी के चयन हेतु अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संख्या को शार्टलिस्ट किया जावेगा । इस प्रकार शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का साक्षात्कार पश्चात पीएलवी के रूप में पैनलबद्ध किया जावेगा।

4. पीएलवी का प्रशिक्षण –

पीएलवी के रूप में पैनलबद्ध किये गये उम्मीदवारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की देखरेख में एक सुविधाजनक स्थान पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जाएगा। पैनलबद्ध उम्मीदवारों के द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, पीएलवी को लिखित और मौखिक परीक्षण के आधार पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने की घोषणा किया जायेगा । सफल घोषित होने पर उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतीक चिन्ह वाले पहचान पत्र दिये जायेंगे । पहचान पत्र की वैधता एक वर्ष की अवधि के लिए होगी । जिसे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुन्द द्वारा आगे और बढ़ाया जा सकेगा ।

5. प्रशिक्षित पीएलवी की ड्यूटी –

पैरा लीगल वालंटियर लोगों को विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगो को शिक्षित करेगा, ताकि वे मानवीय गरिमा के साथ जीने के अपने अधिकार के बारे में जागरूग हो सकें, सभी संवैधानिक और वैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों का आनन्द ले सकें और कानून के अनुसार कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन भी कर सके ।

पैरा लीगल वालंटियर लोगों को उनके विवादों/मामलों/समस्याओं की प्रकृति से अवगत कराएंगे और उन्हें तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने सूचित करेंगे ।

पैरा लीगल वालंटियर अपने क्षेत्र में कानून का उल्लंघन या अन्याय के कार्यों पर लगातार नजर रखेंगे और उन्हें टेलीफोनिक संदेश या लिखित संचार या व्यक्तिगत रूप से तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ध्यान में तत्काल लाएंगे ताकि समिति द्वारा प्रभावी उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके।

जब पीएलवी को इलाके में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में सूचना मिलती है, तो पीएलवी पुलिस स्टेशन का दौरा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम कानूनी सेवा संस्थानों के माध्यम से, यदि आवश्यक हो, कानूनी सहायता मिले। पीएलवी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अपराध के शिकार लोगों को भी उचित देखभाल और ध्यान मिले। धारा 357–ए सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत अपराध के पीड़ितों के लिए मुआवजे को सुरक्षित करने के लिए पीएलवी द्वारा प्रयास किए जाएंगे।

पीएलवी जेलों, लॉक–अप, मनोरोग अस्पतालों, बाल गृहों/निरीक्षण गृहों का दौरा करेंगे और कैदियों की कानूनी सेवा आवश्यकताओं का पता लगाएंगे और अधिकारियों को सूचित करेंगे ।

पीएलवी बाल अधिकारों के उल्लंघन, बाल श्रम, गुमशुदा बच्चों और बालिकाओं की तस्करी की सूचना निकटतम कानूनी सेवा संस्थानों या बाल कल्याण समिति को देंगे। पैरा–लीगल वालंटियर्स अपने क्षेत्र में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहायता करेंगे। पैरा–लीगल वालंटियर्स अपने इलाके के लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की कानूनी गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे और लोगों को उनके पते प्रदान करेंगे ताकि वे उपरोक्त द्वारा प्रदान की गई मुफ्त सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। पैरा–लीगल वालंटियर्स लोक अदालतों, सुलह, मध्यस्थता और मध्यस्थता के माध्यम से पूर्व मुकदमेबाजी चरण सहित विवादों के निपटारे के लाभों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे।

प्रत्येक पीएलवी द्वारा दैनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डायरी रखी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डायरी मुद्रित की जाएगी और पीएलवी को दी

आएगी। ऐसी डायरी को सचिव, डीएलएसए या अध्यक्ष, टीएलएससी, जैसा भी मामला हो, द्वारा सत्यापित और पृष्ठांकित किया जाएगा।

6. पीएलवी का मानदेय –

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सहायता क्लीनिक स्कीम 2010 की कण्डिका 15 में दर्शित मानदेय 250/– रूपए (प्रति बैठक) एवं दिनांक 25.01.2018 से स्वीकृत मानदेय 500/– प्रति बैठक प्रदाय किया जावेगा।

पीएलवी जो दूर के गांवों से कानूनी सहायता हेतु आवेदकों को तालुक/जिला स्तर पर कानूनी सेवा संस्थानों और जिला एडीआर केंद्रों में लाते हैं, वे भी उसी दर पर उस दिन के लिए मानदेय प्राप्त करने के पात्र होंगे।

यदि किसी विशेष दिन वे पीएलवी कार्य के संबंध में व्यक्तियों की सहायता न्यायालयों सहित विभिन्न कार्यालयों में करते हैं, तो पीएलवी मानदेय के लिए पात्र होंगे ।

7. पैरा लीगल वालंटियर्स की निरर्हताएं और उनका हटाया जाना।

पीएलवी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इससे हटा दिया जाएगा यदि वह,

- योजना में रुचि दिखाने में विफल रहता है।
- दिवालिया घोषित किया गया है।
- एक अपराध का आरोप लगाया गया है।
- पीएलवी के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो।
- अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है या किसी भी तरीके से दुराचार किया है जिससे उसका पद पर बने रहना जनहित के प्रतिकूल हो।
- यदि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य है। ऐसे किसी पैरा लीगल वालंटियर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त जांच के बाद हटाया जा सकता है ।

8. <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

1— आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **<u>दिनांक 21.07.2025 की संध्या 5.00 बजे तक</u>** बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से **पैरा लीगल वालंटियर के चयन हेतु आवेदन पत्र लिखा हो**, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ0ग0) में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक या कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा । दिनांक 21.07.2025 की संध्या 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

2— आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सामाजिक एवं कानूनी क्षेत्र में किये गये कार्यों से संबंधित प्रमाण पत्रों की **स्वप्रमाणित** (SELF ATTESTED) **प्रतियां** संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3— विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन **जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाईट https://mahasamund.dcourts.gov.in** में किया जा सकता है, तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

5— आवेदक, आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित **<u>पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो</u>** चस्पा करेगा।

6— विज्ञापन में **निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार** किये जायेगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

7— **<u>त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर</u>** आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

6 <u>अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी</u>

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि

आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

7 <u>अन्य आवश्यक सूचनाएं</u>

1– चयन विधि एवं प्रक्रिया निर्धारित करने तथा नियुक्ति निर्धारित करने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ0ग0) को होगा।

2– आवेदकों को प्रवेश पत्र अपलोड किये जाने की सूचना एवं साक्षात्कार की तिथि, समय की सूचना जिला न्यायालय के वेबसाईट **https:// mahasamund.dcourts.gov.in** एवं सूचना–पटल के माध्यम से दी जावेगी।

4– जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाईड **https:// mahasamund.dcourts.gov.in** से **आवेदक अपना प्रवेश पत्र** डाउनलोड कर आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपना अर्हता से संबंधित मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से साक्षात्कार हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा, इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

5– साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना होगा। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति एवं
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महासमुन्द (छ.ग.)

पैरालीगल वॉलिंटियर्स के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पंजीयन फार्म

नवीनतम पासपोर्ट फोटो स्वप्रमाणित

01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में):

(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :

02. पिता/पति का पूरा नाम :

03. (अ) जन्मतिथि (अंको में) :

(शब्दो में) :

04. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :

.....

.....

05. मोबाईल नंबर :

06. जाति/वर्ग :

07. लिंग (पुरूष/महिला) :

08. वर्तमान में क्या कार्य कर रहे है :

09. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

10. सामाजिक कार्यो के संबंध में :

किये गये कार्य का विवरण

.....

//घोषणा पत्र//

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी अपराधिक गतिविधि में संलग्न नहीं रहा/रही हूँ। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी भी राजनैतिक पार्टी या दल से संबंधित नहीं हूँ।

उपरोक्त कंडिका में दी गयी जानकारी सत्य एवं सही है। यदि उपरोक्त जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य या भ्रामक पायी जाती है तो की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वतः जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम